

प्रेषकः

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
संथाम मण्डल गोरखपुर।

संवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,  
नई दिल्ली पिन कोड-110092

पत्रांक: एन०आ००सी०/ ९४५-९७२ /2021-22 दिनांक ३०-०६-२०२१

विषय:- एच०एस०ग्लोबल एकेडमी, भैसही वाजार, हाटा, जिला-कुशीनगर को सी०वी०एस०ई० वोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,



उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी०वी०एस०ई० वोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अधिक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने के निर्देश है। सी०वी०एस०ई०वोर्ड नई दिल्ली रा सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निर्गत नवीन वाइलाज दिनांक 18 अक्टूबर 2018 में दिए गए गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय की भूमि, भवन व अन्य मानक पूर्ण होने के कारण मण्डलीय समिति वो घैटक दिनांक 29-06-2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार एच०एस०ग्लोबल एकेडमी, भैसही वाजार, हाटा, जिला-कुशीनगर को सी०वी०एस०ई० वोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय को पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा नामित एक सदरय होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/घोसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की भाँग नहीं की जायेगी, और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से भाग्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी०वी०एस०ई० वोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त भाग्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान खत: समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय राहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुग्राम वेतनमानों तथा अन्य गत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सावा शर्त वनावी जायेंगी और राहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुभव संवान्वयिता का सावा उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

प्रमाण

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रख जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।



उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

भवदीय  
  
 (योगेन्द्र नाथ सिंह)  
 संयुक्त शिक्षा निदेशक  
  
 सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या/एन0ओ0सी0/ १४५-११२ /2021-22 दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उ0प्र0 शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, एच0एस0ग्लोबल एकेडमी, भैसही बाजार, हाटा, जिला-कुशीनगर।
7. गार्ड फाइल।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)  
  
 संयुक्त शिक्षा निदेशक  
  
 सप्तम मण्डल गोरखपुर।